भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

राज्य सभा

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 1017</u>

(जिसका उत्तर मंगलवार, 12 दिसंबर, 2023/21 अग्रहायण, 1945(शक) को दिया जाना है।)

पैन कार्ड को आधार से जोड़ा जाना

1017 #श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2023 तक कितने लोगों के पैन कार्ड को उनके आधार नंबर से जोड़ा गया है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 30 जून, 2023 के बाद आधार से लिंक न होने के कारण निष्क्रिय किए गए पैन कार्डों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) आधार कार्ड से लिंक न होने पर पैन कार्ड के निष्क्रिय होने के परिणामों से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(घ) पैन कार्ड को निष्क्रिय करने के बाद पुन: सक्रिय करने की प्रक्रिया से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोनों दस्तावेजों को लिंक करने के लिए कितने लोगों ने रूपए 1,000/- का भुगतान किया है और इस संबंध में अब तक कुल कितनी राशि एकत्र की गई है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): अपने संबंधित आधार के साथ जुड़े हुए पैन की संख्या का ब्यौरा 30 जून, 2023 तक 54,67,74,649 है। किसी पिछली तारीख से डाटा का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, दिनांक 30.11.2023 तक की अवधि की राज्यवार सूचना **सारणी-क** में दी गई है।

(ख): आधार के साथ जुड़ा नहीं होने के कारण किसी पैन को निष्क्रिय नहीं किया गया है। केवल उस पैन को 'अप्रचालनीय' किया जाता है यदि वह आधार के साथ जुड़ा हुआ नहीं है।

(ग): यदि पैन आधार से जुड़ा हुआ नहीं है, पैन के अप्रचालनीय किए जाने के परिणाम परिपत्र संख्या 2023 के 3 के अनुसार होते हैं, जो इस प्रकार हैं:

(i) आयकर अधिनियम,1961 के उपबंधों के अधीन शोध्य कर की किसी रकम अथवा उसके भाग को प्रतिदाय नहीं किया जाएगा;

(ii) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 114ककक के उप-नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से आरंभ होने वाली तथा इसके प्रचालनीय होने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए ऐसे प्रतिदाय पर ब्याज संदेय नहीं होगा।

(iii) जहां ऐसे व्यक्ति के मामले में अध्याय XVII-ख के अधीन कर कटौती योग्य है ऐसा कर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206कक के उपबंधों के अनुसार उच्चतर दर पर कटौती किया जाएगा।

(iv) जहां ऐसे व्यक्ति के मामले में अध्याय XVII-खख के अधीन कर स्त्रोत पर संग्रहणीय है, ऐसा कर आयकर अधिनियम,1961 की धारा 206गग के उपबंधों के अनुसार उच्चतर दर पर संग्रहित किया जाएगा।

(घ): उत्तर (ख) के आलोक में, प्रश्न नहीं उठता।

(ड़): उन लोगों की जिन्होंने 1 जुलाई, 2022 से 30 नवम्बर, 2023 की अवधि के दौरान पैन के साथ आधार जोड़ने के लिए 1,000 रूपये का भुगतान किया है, कुल संख्या 2.125 करोड़ है। इन लोगों से संग्रहित कुल राशि 2,125 करोड़ रूपये है।

*****

तालिका-क

क्र.सं.	**राज्य का आवासीय पता**	**पैन नंबर**
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	235107
2	आंध्र प्रदेश	24726158
3	अरुणाचल प्रदेश	715204
4	असम	12813323
5	बिहार	42323312
6	चंडीगढ़	745605
7	दादरा और नगर हवेली	210977
8	दमन और दीव	162353
9	दिल्ली	13837680
10	गोवा	1003876
11	गुजरात	27452095
12	हरियाणा	17487275
13	हिमाचल प्रदेश	4015286
14	जम्मू और कश्मीर	4669709
15	कर्नाटक	37258217
16	केरल	17831049
17	लक्षद्वीप	22300
18	मध्य प्रदेश	28599138
19	महाराष्ट्र	61942591
20	मणिपुर	1209847
21	मेघालय	463788
22	मिजोरम	305405
23	नगालैंड	605556
24	ओडिशा	14440675
25	पांडिचेरी	568358
26	पंजाब	18172272
27	राजस्थान	30803683
28	सिक्किम	303020
29	तमिलनाडु	36263939
30	त्रिपुरा	1565478
31	उत्तर प्रदेश	87102419
32	पश्चिम बंगाल	48957647
33	छत्तीसगढ़	10151087
34	उत्तराखंड	6017054
35	झारखंड	12835481
36	तेलंगाना	15635137
37	विदेश	153328